# झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
## JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

## सत्र 2015-17 के इंटरमीडिएट पंजीयन हेतु आवश्यक सूचना

### विज्ञप्ति संख्या - 43/2016

एतद् द्वारा सत्र 2015-17 के इंटरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में पंजीकृत होने वाले सभी नियमित छात्र/छात्राओं, अंगीभूत, सम्बद्ध डिग्री महाविद्यालय, प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय, राजकीय/राजकीयकृत +2 विद्यालयों, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं 2015-17 सत्र के लिये स्थापना अनुज्ञा (अनुमति) प्राप्त इंटर महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि परिषद् द्वारा इंटरमीडिएट के छात्र/छात्राओं का पंजीयन OMR Sheet द्वारा कराया जाना है। इस हेतु OMR Sheet ग्यारहवीं परीक्षा के लिए दिए गए मांग पत्र के आधार पर संथाल परगना प्रमण्डल का क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका में, पलामू प्रमण्डल का प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में एवं शेष प्रमण्डलों को परिषद् कार्यालय राँची से दिनांक 16.08.2016 से प्राप्त किया जा सकेगा। **प्रत्येक OMR Sheet शुल्क (सूचीकरण प्रपत्र शुल्क) ₹70/- निर्धारित है, ड्राफ्ट के माध्यम से परिषद् कार्यालय से शुल्क जमा कर वांछित संख्या में परिषद् कार्यालय से प्राप्त कर लें।**

विहित शुल्क के साथ भरा हुआ पंजीयन आवेदन पत्र संथाल परगना प्रमण्डल का क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका में, पलामू प्रमण्डल का प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में एवं शेष प्रमण्डलों को परिषद् कार्यालय राँची में जमा करने की निर्धारित तिथि निम्न प्रकार से है–

| जिला का नाम | विलम्ब शुल्क रहित (परिषद् कार्यालय में) | विलम्ब शुल्क सहित (परिषद् कार्यालय में) |
|---|---|---|
| गुमला, लोहरदगा,सिमडेगा, खुंटी, कोडरमा, दुमका | 14.09.2016 | 28.09.2016 |
| राँची, पलामू, देवघर | 15.09.2016 | 29.09.2016 |
| हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़, गढ़वा, साहेबगंज | 16.09.2016 | 30.09.2016 |
| धनबाद, चतरा, लातेहार, पाकुड़ | 17.09.2016 | 03.10.2016 |
| पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, गोड्डा | 19.09.2016 | 04.10.2016 |
| सरायकेला-खरसावां, बोकारो, जामताड़ा | 20.09.2016 | 05.10.2016 |

### शुल्क की राशि

1. सूचीकरण शुल्क – ₹200/–
2. आव्रजन शुल्क – ₹150/–
3. आव्रजन विलम्ब शुल्क– ₹250/–
4. सूचीकरण विलम्ब शुल्क – ₹275/–
5. अनुमति शुल्क– ₹500/– (केवल स्थापना अनुज्ञा प्राप्त महाविद्यालयों के लिए)
6. अनुमति विलम्ब शुल्क – ₹250/– (केवल स्थापना अनुज्ञा प्राप्त महाविद्यालयों के लिए)

**उपर्युक्त कोटि के सभी महाविद्यालयों (स्थापना अनुज्ञा प्राप्त महाविद्यालयों को छोड़कर) की नियमित छात्राओं के सूचीकरण शुल्क ₹200/- भुगतेय नहीं होगा, अन्य सभी शुल्क देय होंगे।**

- ✲ सभी विहित शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा होगा, जो **"JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL FUND"** के नाम से बनाया जाएगा। **ध्यातव्य कि बैंक ड्राफ्ट बनाते वक्त इस बात की पूरी सावधानी बरती जाए कि नाम में कोई भी अशुद्धि न हो।**
- ✲ बैंक ड्राफ्ट राँची कार्यालय में जमा करने हेतु राँची में भुगतेय होगा, संथाल परगना प्रमण्डल के लिए दुमका में भुगतेय होगा एवं पलामू प्रमण्डल के लिए डाल्टेनगंज मे भुगतेय होगा।
- ✲ सभी छात्र/छात्राओं एवं महाविद्यालय के प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि पंजीयन आवेदन पत्र में विषय का सही चयन पाठ्यक्रम के आलोक में करें, जो विषय आवेदन पत्र में अंकित रहेंगे वही विषय परीक्षा आवेदन पत्र में भी भरे जाएँगे। गलत विषयों का चयन किए जाने पर सारी जवाबदेही महाविद्यालय के छात्रों/प्राचार्यों की होगी।
- ✲ उपर्युक्त कोटि के महाविद्यालयों के प्रधानों को सूचित किया जाता है कि परिषद् द्वारा निर्धारित छात्र संख्या से अधिक का नामांकन बिना परिषद् की अनुमति के नहीं किया जाना है। यदि निर्धारित सीटों की संख्या पूरी हो चुकी है, किन्तु उनमें से कुछ छात्र स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र लेकर बाहर चले गए हैं, तो उन रिक्त सीटों पर भी नामांकन के लिए परिषद् की अनुमति अनिवार्य है।
- ✲ जिन महाविद्यालयों को स्थापना अनुज्ञा (अनुमति) सत्र 2015-17 हेतु अनुमति पत्र परिषद् द्वारा प्राप्त है, वे ही पंजीयन प्रपत्र जमा करेंगे। साथ ही परिषद् द्वारा निर्गत पत्र की छायाप्रति भी अवश्य संलग्न करेंगे।
- ✲ सभी महाविद्यालयों/+2 विद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची को छोड़कर अन्य संस्थान से माध्यमिक परीक्षा से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं का पंजीयन प्रपत्र के साथ आव्रजन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। जो पंजीयन डाटा के समेकित विवरणी के साथ संलग्न रहेगा। अन्यथा की स्थिति में उक्त छात्र/छात्रा का पंजीयन प्रपत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी।
- ✲ सभी कोटि के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि परिषद् द्वारा निर्धारित शुल्क जो विज्ञप्ति में दी गई है, के अनुसार ही शुल्क की राशि परिषद् में जमा करेंगे।
- ✲ **अनुरोध है कि निर्धारित तिथि में ही पंजीयन प्रपत्र एवं शुल्क परिषद् में जमा किया जाए। निर्धारित तिथि के उपरान्त पंजीयन प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।**
- ✲ प्राचार्यों, छात्रों एवं अभिभावकों से अनुरोध है कि OMR Sheet पर सूचनायें संधारित करने के पूर्व उसकी एक छायाप्रति कराकर पहले अभ्यास छात्र/छात्रा से करा लें ताकि त्रुटि की सम्भावना न हो क्योंकि अतिरिक्त OMR Sheet के लिए अतिरिक्त शुल्क देय होगा जिसके लिए परिषद् जिम्मेवार नहीं होगी।

**अध्यक्ष के आदेश से,**
**ह./- (रजनीकांत वर्मा)**
**सचिव,**
**झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।**

JAC/विज्ञप्ति–4290/10-SECY-287/16
Dt. 13.08.2016
D.O.P : 14.08.2016

8x23